संख्या-105/2018/1987/22-2-2017-17(54)/2013

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 23 जनवरी, 2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामेश्वर पुत्र श्री चिरंजीलाल निवासी जनपद-मुरादाबाद वर्तमान जनपद-जे0पी0 नगर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-29428/प्रोबेशन-7/सीमित सजावधि/(एम-22.06.2017) दिनांक 16.08.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामेश्वर पुत्र श्री चिरंजीलाल, जो ग्राम-बरखेडा, थाना-डिडौली, जनपद-मुरादाबाद वर्तमान जनपद-जे0पी0 नगर का रहने वाला है। रूपया 1754/-के लेन-देन को लेकर बन्दी व दान सिंह के मध्य झगडा हुआ, बन्दी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 24.06.1980 को प्रात: लगभग 11:30 बजे लाठी से वारकर दान सिंह को घायल किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-271/1981 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद के आदेश दिनांक 17.09.1982 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 03.07.2010 द्वारा धारा-302 को धारा-302 पार्ट-1 में परिवर्तित करते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 16.06.2017 तक 07 वर्ष 00 माह 20 दिन की अपरिहार सजा तथा 09 वर्ष 04 माह 00 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। पुलिस अधीक्षक द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, पुलिस अधीक्षक अमरोहा द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी रामेश्वर पुत्र श्री चिरंजीलाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी रामेश्वर (बन्दी संख्या-47179) पुत्र श्री चिरंजीलाल निवासी जनपद-मुरादाबाद वर्तमान जनपद-जे0पी0 नगर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-105/2018/1987(1)/22-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जे0पी0 नगर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-105/2018/1987/22-2-2017-17(54)/2013

दिनांक 23 जनवरी, 2018 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामेश्वर पुत्र श्री चिरंजीलाल, जो ग्राम-बरखेडा, थाना-डिडौली, जनपद-मुरादाबाद वर्तमान जनपद-जे0पी0 नगर का रहने वाला है। रूपया 1754/-के लेन-देन को लेकर बन्दी व दान सिंह के मध्य झगडा हुआ, बन्दी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 24.06.1980 को प्रात: लगभग 11:30 बजे लाठी से वारकर दान सिंह को घायल किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-271/1981 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद के आदेश दिनांक 17.09.1982 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 03.07.2010 द्वारा धारा-302 को धारा-302 पार्ट-1 में परिवर्तित करते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 16.06.2017 तक 07 वर्ष 00 माह 20 दिन की अपरिहार सजा तथा 09 वर्ष 04 माह 00 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। पुलिस अधीक्षक द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, पुलिस अधीक्षक अमरोहा द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी रामेश्वर पुत्र श्री चिरंजीलाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।